

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 14/2019

श्री चौथमल पुत्र श्री छोगा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दिलवाड़ी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमति कमला पत्नि स्व० श्री रामगोपाल
- 2- श्री रामावतार
- 3- श्री शिवजी
पुत्रगण स्व० श्री रामगोपाल
- 4- सीता पुत्री स्व० श्री रामगोपाल
समस्त जाति सादू, निवासीगण ग्राम दिलवाड़ी, तहसील नसीराबाद,
जिला अजमेर
- 5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4)राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

- उपस्थित :-
- 1- श्री मंगलाराम चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से
 - 2- श्री मदनसिंह रावत, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से
 - 3- श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से
 - 4- नायब तहसीलदार अजमेर (लीव रिजर्व), पैरोकार सरकार

—: आदेश :-

दिनांक-27.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 06.07.1984 को ग्राम दिलवाड़ी में आयोजित राजस्व शिविर में श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास जाति साधू निवासी ग्राम दिलवाड़ी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम दिलवाड़ी के सिवायचक आराजी चौसाला खसरा नम्बर 123 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि के वर्किंग जमाबन्दी में बने नवीन खसरा संख्या 129 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए

अपर कलक्टर
अजमेर



विवादित भूमि के नियमन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम दिलवाड़ी स्थित विवादित आराजी के चौसाला खसरा संख्या 123 रकबा 02-05-00 बीघा के वर्किंग जमाबन्दी में बने नवीन खसरा संख्या 129 रकबा 02-05-00 बीघा के वर्तमान जमाबन्दी हाल खसरा संख्या 214 रकबा 0.01, 215 रकबा 0.35 है। विवादित आराजी का उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्व शिविर दिलवाड़ी में दिनांक 06.07.1984 को बिना मौका व रिपोर्ट देखे एवं बिना कोई उद्घोषणा जारी किये विधिविरुद्ध तरीके से प्रावधानों के विपरीत जाकर नियमन किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 19 से अंकन किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 311 व 140 से श्री रामगोपाल पुत्र श्री हीरादास के नाम अंकन हुआ, जबकि उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जा काश्तशुदा आराजी है एवं वह वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई लेना देना व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी में प्रार्थी के दादा श्री छीतर पुत्र श्री गोदा के नाम चौसाला पुराना खसरा संख्या 123 रकबा 02-05-00 बीघा में सम्वत 2019 में फसल काश्त की गई। खसरा गिरदावरी सम्वत 2021, 2022 एवं सम्वत 2023 से 26 तथा 2031 से 34 में प्रार्थी के पिता श्री छोगा पुत्र श्री छीतर के द्वारा फसल काश्त की गई जो राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। प्रार्थी नियमन का प्रथम वरीयता से पात्र है एवं नियमन के पात्र व्यक्ति की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के नाम गलत तरीके से नियमन किया गया है जबकि प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में नियमन से कई वर्षों पूर्व से प्रार्थी व उसके दादा एवं पिता निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज व अप्रार्थीगण का कभी भी कोई कब्जा व आधिपत्य नहीं रहा है। उनका आगे कथन है कि नियमन करने से पूर्व उद्घोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा उद्घोषणा या आम सूचना का कोई प्रकाशन नहीं किया गया। उनके द्वारा आवंटन व नियमन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से नियमन किया गया है। आक्षेपीय आदेश कोरम द्वारा पारित नहीं किया जाकर केवल उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित किया गया है। उनके द्वारा कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज या मौके का निरीक्षण नहीं किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के नाम राजस्व रेकार्ड में कितनी भूमि थी अथवा वे भूमिहीन काश्तकार थे या नहीं तथा उनका जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर था या नहीं। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन निरस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम नियमन किया जावे।



अपर कलक्टर
अजमेर

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुशंसा पर आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में राजस्व शिविर में ग्राम दिलवाड़ी स्थित आवंटित विवादित आराजी का चौसाला खसरा संख्या 123 एवं वर्किंग खसरा संख्या 129 रकबा 02-05-00 बीघा जिसके वर्तमान आधार खसरा संख्या 214 रकबा 0.01 हैक्टर व 215 रकबा 0.35 है0 है। उक्त आराजी पर सन् 1975 अर्थात् सम्वत 2032 से अप्रार्थिया संख्या 1 के ससुर एवं 2 लगायत 4 के दादा श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास, जाति साधू काबिज काशत चले आ रहे थे। आराजी स्वयं की खातेदारी भूमि के लगाकर होने के कारण काफी रूपये खर्च करके उबड़ खाबड़ व नाकाबिल काशत भूमि को काबिल काशत बनाया गया। अजमेर जिले में भू-संशोधन के समय जिन काशतकारों की अपने पूर्वजों की कब्जेकाशत की भूमि थी उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, किन्तु राज्य सरकार द्वारा भू-संशोधन को मान्यता प्रदान नहीं करने के कारण काशतकारों की खातेदारी निरस्त कर राजस्व रेकॉर्ड में भूमि पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई। ऐसे काशतकारों को भूमि नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले के लिये विशेष अधिसूचना जारी कर भू-संशोधन खातेदारान को कब्जे काशतशुदा आराजी नियमन की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास का प्रकरण भी भू-संशोधन का अवशेष प्रकरण होने के कारण उनके पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 190 तस्दीक कर अमल दरामद किया गया। इनके स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तरकरण संख्या 140 रामगोपाल पुत्र हीरादास के नाम एवं तत्पश्चात नियमन शर्तों की पालना करने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 311 रामगोपाल पुत्र हीरादास को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। उनका आगे कथन है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2019, 2021, 2022 एवं 2023 से 2026 व 2027 से 2030 पर प्रार्थी व उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा काशत नहीं रहा जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज का नियमन से कई वर्षों पूर्व से कब्जा काशत चला आ रहा है। आक्षेपित नियमन आदेश भू-संशोधन अवशेष प्रकरण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में पारित किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उद्घोषणा जारी कर दिनांक 06.07.1984 को राजस्व शिविर दिलवाड़ी में ग्राम दिलवाड़ी के 25 व्यक्तियों एवं ग्राम बैवन्जा के लगभग 22 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन/नियमन किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पूर्व सूचना प्रकाशित कर ग्राम दिलवाड़ी व बैवन्जा के ग्रामवासियों की उपस्थिति में मजमेआम में आवंटन नियमों का पालन करते हुए आवंटन/नियमन आदेश पारित किये गये हैं। आक्षेपीय आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में पारित किया गया है जो राज्य सरकार के आदेश की पालना मात्र है एवं पूर्ण कोरम में पारित किया गया है। अधिसूचना के आधार पर पारित नियमन आदेश में पूर्ण कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एडजोन मीटिंग है तो उसमें दो सदस्य ही पर्याप्त है। इसका आवंटन नियम 1970 के नियम 13 (3) व 13 (3)(क) में स्पष्ट प्रावधान है। एडजोन मीटिंग हेतु नवीन नोटिस जारी किया जाना भी आवश्यक नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर0एल0डब्ल्यू0 1992 पार्ट-11 पृष्ठ 300 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया।



अपर कलेक्टर
अजमेर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि पटवारी हल्का की तस्दीक अनुसार वरवक्त नियमन सिंचित 06-02-00 बीघा भूमि आवंटी की खातेदारी में दर्ज थी जिसका बाराणी का माप 12-04-00 बीघा बैठता है जबकि आवंटन नियम 12 के अनुसार 10 एकड़ तक आराजी का आवंटन/नियमन किया जा सकता है। इस प्रकार आवंटन/नियमन हेतु 25 बीघा आराजी बनती है जिसमें से 12-04-00 बीघा भूमि कम करने पर 12-16-00 बीघा भूमि आवंटी को आवंटन/नियमन की जा सकती थी जबकि 02-05-00 बीघा भूमि का ही नियमन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटी हीरादास भूमिहीन कृषक था। प्रार्थी द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि आक्षेपीय नियमन आदेश आवंटी द्वारा मिथ्या कथन, दुर्व्यपदेशन अथवा आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर पारित करवाया गया है। उन्होने कथन किया कि राजस्थान में अनावृष्टि व अतिवृष्टि होने से समय पर काश्त व उपज नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा काश्त शर्त को विलोपित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के विपरीत कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं है क्योंकि नियम 14(4) में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रावधान किया गया है, नियमन निरस्तीकरण हेतु नहीं जबकि प्रस्तुत प्रकरण में नियम 20(1-क) के अन्तर्गत नियमन किया गया है। उक्त आक्षेपित नियमन आदेश के निरस्तीकरण हेतु वर्ष 2019 में लगभग 35 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थीगण को दिनांक 10.08.1991 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाना कर्त्तई न्यायोचित नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले में भू-संशोधन अवशेष प्रकरण में भूमि नियमन करने हेतु जारी विशेष अधिसूचना के क्रम में नियमन आदेश पारित किया गया है, फलस्वरूप अधिसूचना के आधार पर पारित नियमन आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में विवादित आराजी का नियमन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अजमेर जिले में भू-संशोधन अवशेष प्रकरण में भूमि नियमन करने हेतु जारी विशेष अधिसूचना की पालना में आक्षेपीय नियमन आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के पक्ष में वर्ष 1984 में नियमन किया गया था। लगभग 35 वर्ष की अवधि के पश्चात आवंटी के पक्ष में किए गए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त किया जाना विधिनुकूल व न्यायोचित नहीं है। हालांकि आवंटन/नियमन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज द्वारा विवादित भूमि का नियमन छल, कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया



अपर कलक्टर
अजमेर

है। प्रार्थी का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि विवादित आराजी उनके कब्जे काश्तशुदा आराजी है एवं वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा जो खसरा गिरदावरियां/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया है उनके अवलोकन से विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त होने की पुष्टि नहीं होती है, वे आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे हैं। प्रार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर भू-संशोधन अवशेष प्रकरण के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास को वादग्रस्त आराजी का नियमन किया गया है जिसका राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के नियम 20(1-क) में प्रावधान किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा नियमन आदेश को नियम 14(4) के अन्तर्गत चुनौती दी गई है जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है जबकि प्रार्थी को नियम 20(2) अन्तर्गत चुनौती दी जानी चाहिये थी।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री हीरादास पुत्र श्री नारायणदास के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



27/2
(लोकेश कुमार गौतम)
(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर